न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
30/2021	2021/185	29.06.2021	23.05.2022

उनवान प्रकरण

1. पवन कुमार पुत्र जुगलकिशोर आयु ...वर्ष जाति ब्राहमण निवासी स्वामियो का मौहल्ला कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. रंजना देवी पत्नि पवन कुमार आयु ...वर्ष जाति ब्राहमण निवासी स्वामियो का मोहल्ला कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. महेश कुमार पुत्र अर्जुन लाल आयु... वर्ष जाति महाजन निवासी अग्रसेन कॉलोनी, पुष्पनगर कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
4. राजकुमारी पत्नि राजेश कुमार आयु... वर्ष जाति ब्राहमण निवासी वैशालीनगर जयपुर जिला जयपुर (राज0)
5. सुरेश कुमार पुत्र बिहारीलाल आयु... वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम होद तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. शान्ती देवी पत्नि बाबूलाल जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 24, न्यू कॉलोनी, पुष्पनगर श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
3. अनिल कुमार पुत्र भगवानसहाय
4. अमरजीतसिंह पुत्र भगवानसहाय
5. अरविन्द सिंह पुत्र भगवानसहाय
6. अशोक कुमार पुत्र भगवानसहाय
7. ओमप्रकाश पुत्र भगवानसहाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:18 IST
Reason: SelfAttested

27/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

8. गोकुल पुत्र भगवानसहाय

समस्त जाति जाट निवासी ब्रह्मचारीबाबा के पास, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

9. सुशिला देवी पत्नि रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

10. महेन्द्र पुत्र तेजाराम

11. सावंरमल पुत्र तेजाराम

12. ओमप्रकाश पुत्र कैशाराम जाति हरिजन

13. कानाराम पुत्र मोहनलाल

14. ग्यारसी देवी पत्नि मोहनलाल

15. दुर्गेश पुत्र मोहनलाल

16. प्रेम देवी पुत्री केशाराम

17. प्रहलाद पुत्र केशाराम

18. पिंकी पुत्री मोहनलाल

समस्त जाति हरिजन निवासीगण खण्डेला रोड़, श्रीमाधोपुर जिला तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज0

19. गोविन्दराम पुत्र प्रभातराम आयु... वर्ष जाति माली निवासी खनीपुरा तन् हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

20. बाबुलाल पुत्र श्री हनुमान आयु ...वर्ष जाति माली निवासी खनीपुरा तन् हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

21. बिमला देवी पुत्री चोथु आयु ...वर्ष जाति माली निवासी खनीपुरा तन् हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

22. भूरी पत्नि हनुमान आयु ...वर्ष जाति माली निवासी खनीपुरा तन् हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

23. राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर आयु... वर्ष जाति ... निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:18 IST
Reason: SelfAttested

23/5/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

24. विजय कुमार पुत्र नाथुराम आयु... वर्ष जाति खाती निवासी जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान (राज0)

25. शंकरलाल पुत्र महादेव आयु...वर्ष जाति माली निवासी खनीपुरा तन् हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

26. सीताराम पुत्र प्रभातराम आयु... वर्ष जाति माली निवासी खनीपुरा तन् हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 – प्रार्थीगण की ओर से

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 —अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

श्री मनोज कुमार शर्मा, एड0 —अप्रार्थीगण सं. 10 से 15, 17 की ओर से

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 —अप्रार्थी सं. 20 की ओर से

श्री तेज सिंह शेखावत, एड0 —अप्रार्थीगण सं. 23, 24 की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कृषि भूमि खसरा नम्बर 10/1 रकबा 0.7000, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.4000 हैक्टर ,खसरा नम्बर 9 रकबा 1.4200 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा ... हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित है जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की एक ... स्वामित्व मालिकाना हक व खातेदारी की भूमिया है। उक्त दर्ज भूमियो का सीमाज्ञान ... तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/10 दिनांक 23.06.2007 की पालना में पटवार हल्का बस्सी के द्वारा विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:18 IST
Reason: Self-Attested

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रूपेण सीमाज्ञान दिंनाक 27.06.2007 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 10/1, 8, 9 के चारो तरफ अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 26 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2848/7, 2849/7, 10/2 तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) एंव भूमि खसरा नम्बर 1065, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071/2, 1073 तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) एंव भूमि खसरा नम्बर 997 तन् ग्राम खनीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की खाम डोल को तोडने पर आमादा रहते है। इसलिए उक्त वर्णित भूमियो की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित भूमियो की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदार एंव कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 10/1 रकबा 0.7000, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.4200 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.5200 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.06.2007 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार), 3 लगायत 9, 19, 21, 22, 25, 26 की तामील साधारण तरीके से करवाये जाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एंव प्रतिवादी संख्या 16 व 18 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब पेश किया जाकर प्रार्थीगण की जमीनों के साथ ही अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:18 IST
Reason: SelfAttested

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की भूमियों का भी सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगणों के द्वारा किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 23 व 24 ने अपने जवाब में पत्थरगढ़ी किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होकर पूर्ण सहमति व्यक्त की है। प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रा.पत्र पत्थरगढ़ी पेश कर दिये जाने से वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 10/1 रकबा 0.7000, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.4000 हैक्टर ,खसरा नम्बर 9 रकबा 1.4200 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.5200 हैक्टर जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण के हक अधिकार स्वामित्व मालिकाना हक व खातेदारी की भूमियॉ है। उक्त दर्ज भूमियो का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/10 दिनांक 23.06.2007 की पालना में पटवार हल्का बस्सी के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिंनाक 27.06.2007 को करवाया जा चुका है। जिस सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में किया गया है। वही वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में प्रार्थीगण की भूमियों के साथ–साथ अप्रार्थीया सं. 2 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमिखसरा नम्बर 10/2 रकबा 2.52 हैक्टर का भी पत्थरगढ़ी करवायी जाने का निवेदन किया है। वही वकील अप्रार्थीगण संख्या 23 व 24 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होना तथा पूर्णतया सहमत होने बाबत निवेदन किया। वही वकील अप्रार्थीगण संख्या 10 से 15 व 17 ने अ... में अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.06.2007 को सीमाज्ञान करवाये ... वर्ष का समय हो चुका है। जिसे नये सिरे से सही सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरान्त ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है। इसके साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:18 IST
Reason: SelfAttested

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पत्थरगढ़ी के समय भी खातेदारान् को पूर्व सूचना दी जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जाने का निवेदन किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 8, 9 व 10/1 कुल किता 3 कुल रकबा 2.52 हैक्टर जिसके सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2007 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 10/भू.अ./2007 दिनांक 23.06.2007 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया जाना स्पष्ट होता है। वकील अप्रार्थीगण संख्या 10 से 15 व 17 ने प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.06.2007 को करवाये गये सीमाज्ञान जिसे 15 वर्ष का समय होने की आपत्ति अपने जवाब प्रार्थना पत्र व बहस में उठाते हुए नये सिरे से सही सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरान्त ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का पुनः सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 29.04.2022 की पालना में पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर के द्वारा दिनांक 04.05.2022 को किये गये फर्द मौका सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति पेश कर रखी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमियों का सीमाज्ञान नये सिरे से पुनः दिनांक 04.05.2022 को करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2007 के अनुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही चाही गई है। जिसके लिए [illegible] खसरा नम्बरान् के चारों तरफ में स्थित खसरा नम्बरान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार[illegible] को भी [illegible]वश्यक पक्षकारान् अप्रार्थीगण बनाया गया है। जिससे भी यह प्रतीत होता है [illegible] प्रार्थीगण के द्वारा स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश किया गया है। प्र[illegible] में समस्त अप्रार्थीगण को सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:18 IST
Reason: SelfAttested

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हेतु नोटिस दिया जाकर बाद सुनवाई की जाकर विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का बस्सी द्वारा दिनांक 27.06.2007 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 10/1 रकबा 0.7000, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.4000 हैक्टर ,खसरा नम्बर 9 रकबा 1.4200 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.5200 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का बस्सी द्वारा दिनांक 27.06.2007 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:18 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)